न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

विविध प्रकरण क्रमांक /2019 जिला–भिण्ड

विविध-0470/2019/भिण्ड/प्र.क्र.10

ओमप्रकाश पुत्र श्री बैजनाथ
निवासी– ग्राम झांकरी परगना गोहद जिला – भिण्ड (म.प्र.)

–– प्रार्थी

विरूद्ध

श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी अधि द्वारा आज दि. 05.4.19 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 15.4.19 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

1 म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर जिला भिण्ड
2 अनुविभागीय अधिकारी श्री डी.के. शर्मा
गोहद जिला – भिण्ड
3 नायब तहसीलदार योगिता वाजपेयी
वृत देहगांव तहसील गोहद जिला – भिण्ड (म.प्र.)

–– प्रतिप्रार्थीगण

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गोहद जिला भिण्ड द्वारा प्रकरण क्रमांक 74 /2015–16/अपील माल में पारित आदेश दिनांक 20.04.2017 का पालन नायब तहसीलदार वृत देहगांव तहसील गोहद जिला भिण्ड द्वारा नहीं किये जाने के परिणाम स्वरूप मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 8 एवं 32 के अधीन आवेदन पत्र।

माननीय महोदय,

प्रार्थी की ओर से यह आवेदन निम्न तथ्यों व आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है :–

<u>मामले के संक्षिप्त तथ्य :</u>

1– यहकि, प्रार्थी द्वारा ग्राम झॉकरी में स्थित भूमि आराजी नं. 47, 51, 58, 81 एवं ग्राम नीरपुरा में स्थित भूमि आराजी नं. 159, 160, 298 के सम्बन्ध में एक आवेदन–पत्र अनुविभागीय अधिकारी, गोहद के समक्ष इस आशय से प्रस्तुत किया कि उपरोक्त भूमि के भूमिस्वामी एवं आधिपत्यधारी प्रार्थी हैं। इसी भूमि के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रकरण विचाराधीन है। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका क्रमांक 840/2016 में स्थगन आदेश दिनांक 04.02. 2016 को पारित किया है, ऐसी स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए राजस्व अभिलेखों में पूर्व भूमिस्वामी भागीरथ का नाम अंकित कराये जाने के आदेश दिये जाये।

2– यहकि, अनुविभागीय अधिकारी, गोहद द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.04.2016 से तहसीलदार गोहद को निर्देशित किया कि माननीय उच्च न्यायालय, ग्वालियर के

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

(49)

प्रकरण क्रमांक – विविध-470/2019/भिण्ड/भू.रा.

ओमप्रकाश विरूद्ध शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29-06-2019	प्रकरण में उभय पक्षों के तर्कों पर विचार किया तथा प्रकरण का अवलोकन किया । यह विविध आवेदन अनुविभागीय अधिकारी तहसील गोहद जिला भिण्ड के द्वारा प्रकरण क्रमांक 74/2015-16/अपील में पारित आदेश दिनांक 20-04-2017 का पालन नायब तहसीलदार वृत्त देहगांव तहसील गोहद जिला भिण्ड के द्वारा नहीं किये जाने से संहिता की धारा 8 एवं 32 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है । प्रकरण में अंतिम आदेश अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित किया गया है, जिसका पालन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया जा चुका है । इस आशय का पालन प्रतिवेदन शासकीय अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है । प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया । चूंकि अनुविभागीय अधिकारी के आदेश का पालन हो चुका है । अतः इस प्रकरण को चलाये रखने का कोई औचित्य न होने से प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । **(महेश चंद्र चौधरी)** **सदस्य**	